

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड
 CIN:L74899DL1995PLC073281
 पंजीकृत कार्यालय: 54, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फ़ेज-III, नई दिल्ली-110020
 कॉर्पोरेट कार्यालय: गी-208 ए, सेक्टर-81, फ़ेज-II, नोएडा-201305 (उ.प्र.)
 फ़ोन: +91-120-2462552 / 53, फ़ैक्स: +91-120-2461371
 वेबसाइट: www.ppapco.in; ई-मेल आईडी: investorservice@ppapco.com

नोटिस
 सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 के सहपठित विनियम 47 के अनुसार, एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि 31 दिसम्बर 2019 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिये, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, अन्य विषयों के साथ, दूसरे अंतरिम लामांश पर विचार और घोषणा करने के लिये बुधवार, 18 मार्च, 2020 को आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, सेबी (अनधिकृत व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी के शेयरों का लेन-देन करने की व्यापारिक खिड़की अंतरिम लामांश की घोषणा के 48 घंटे बाद 13 मार्च, 2020 तक बंद रहेगी, यदि कोई हो।

कथित जानकारी कंपनी की www.ppapco.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्थान: नोएडा
 दिनांक: 13 मार्च, 2020

सोनिया मंडारी
 कंपनी सेक्रेटरी

अपनी प्रति के लिए
 Call 022 4027 5432 or
 SMS reachbs to 57575 or
 email us at
order@bsmail.in

बिज़नेस स्टैंडर्ड
 वेक्टर बिज़नेस वी, जो आपकी भाषा में हो

ग्रेंटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
 मूखण्ड संख्या-1, नॉलेज पार्क-04, ग्रेंटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर

सार्वजनिक सूचना

ग्रेंटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत M/s Mahaluxmi Infrahomes Pvt. Ltd. के मूखण्ड संख्या-GH-03 सेक्टर-Omicron-3, ग्रेंटर नोएडा पर दिनांक 14.05.2015 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त बिल्डर द्वारा (Tower-4 & Commercial) के अधिमोग प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) हेतु दिनांक 12.02.2020 को आवेदन किया गया है, जिसमें पूर्व फ्लैटों के डिजाइन व अन्य कतिपय संशोधन किया जा रहा है। अतः प्रत्येक आवंटियों द्वारा अपनी consent दी गयी है या नहीं के सम्बन्ध में अपार्टमेंट ओनर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस सम्बन्ध में बिल्डर द्वारा प्रस्तुत संशोधित declarations एवं मानचित्र का परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9.30 से सांय 6.00 बजे के मध्य नियोजन विभाग के displayed में नक़्शे में किया जा सकता है। मानचित्रों में उपरोक्त अपार्टमेंट एक्ट-2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधन की घोषणा के सम्बन्ध में अपार्टमेंट स्वामियों / संघ को नोटिस जारी करने के साथ 30 दिन के अन्दर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है।

अतः उपरोक्त के निहार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रूप से अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेंटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, मूखण्ड संख्या-1, नॉलेज पार्क-04, ग्रेंटर नोएडा में स्थित वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तु) विभाग में निघारित अवधि अर्थात् सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों में प्राप्त करायी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तु)
 ग्रेंटर नोएडा प्राधिकरण

HARYANA RERA REGISTRATION NO : 78 OF 2019
(AN AFFORDABLE HOUSING PROJECT WITH INTEREST SUBSIDY UPTO RS. 2.67 LAKHS UNDER PMAY)
 Sector-76, Gurugram Near Haldiram (NH-8)

Applications are invited from general public for booking of residential apartments in Affordable Housing Project proposed to be developed as per terms and conditions of the policy prescribed by the Town & Country Planning Department, Government of Haryana vide Notification No. PF-27/48921 dated 19.08.2013 & amendment thereof (details available at the department website i.e., www.tcpaharyana.gov.in)

PROJECT DETAILS
 1. Colonisers/ Developers Suncity Projects Pvt. Ltd.
 2. Project Approvals License No. 34 of 2018, Building Plan Approved on 30.08.2019 Vide Memo No.ZP-1255/JD(RD)/2019/20894, Haryana RERA Registration No.#78 Of 2019
 3. Location Sector 76, Gurugram, Haryana
 4. Provisions 1464(Available-866) no. of apartments available in the Housing Scheme spread over 10 acres. As per Policy, 5% of total no. apartments are available for management quota & 95% of total no. apartments are for public. One Community Hall of 2000 sq. ft. and One Anganwadi-cum-creech of 2000 Sq. ft.

Community Facilities:

APARTMENT DETAILS, ALLOTMENT, RATES AND PAYMENT TERMS:

CATEGORY	NO.OF	CARPET AREA	BALCONY AREA	ALLOTMENT RATE	BOOKING AMOUNT
2BHK	UNIT	SQ. MTR / SQ. FT.	SQ.MTR / SQ. FT.	OF APARTMENT(INR)	5% APPROX(INR)
TYPE-1	394	59.00 / 635.08	9.29 / 100.00	2,590,320	1,19,000
TYPE-2	336	54.10 / 582.33	9.29 / 100.00	2,379,320	1,19,000
TYPE-3	60	57.10 / 621.62	9.29 / 100.00	2,536,480	1,19,000
TYPE-4	56	58.20 / 626.46	9.29 / 100.00	2,555,840	1,19,000
TYPE-5	20	56.85 / 611.93	9.29 / 100.00	2,497,720	1,19,000

Total Apartments 866

Payment Plan

Sl. No	DESCRIPTION	INSTALLMENTS	Sl. No	DESCRIPTION	INSTALLMENTS
1.	At the time of application	5% of total sale price	5.	Within 18 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price
2.	Within 15 days of allotment	20% of total sale price	6.	Within 24 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price
3.	Within 6 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price	7.	Within 30 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price
4.	Within 12 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price	8.	Within 36 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price

*NOTE: The date of 1st allotment was 24.02.2020

6. Parking One 2-wheeler parking with each apartment
 7. Tentative Specifications Drawing Room / Lobby Flooring: Tiles / IPS | Drawing Room / Lobby Wall ceiling finish: OBD / Color wash | Bedrooms Flooring: Tiles / IPS | Bedrooms wall ceiling finish: OBD / Color wash | Toilets Walls finish: Tiles upto 4 feet and OBD/ color Wash in balance area | Toilets Flooring: Tiles / IPS | Kitchen Flooring: Tiles / IPS | Kitchen Wall finish: Tiles upto 2 feet high above stone/ Tile counter and OBD / Color wash in balance area. | Fixture & fittings: Single bowl Steel Sink & CP / PVC / PTMT fittings | Balcony Flooring: Tiles / IPS | Window: MS 2-section & Glass/ Alu steel& Glass | Door Frame / Doors: MS/ Fiber Door frames with Flush Door/ Skin Door/ Fiber Door | Common Area flooring: Stone / Tiles/ IPS | Lift Lobby: Stone / Tiles/ IPS | Chinaware: Standard Fittings | Electrical: ISI marked products for wiring, switches and circuits | Security: Gated complex
 8. Applications Timelines
 (i) Booking open from: 14.03.2020
 (ii) Last Date of submission of Applications: 18.03.2020
 (iii) Applications form can be procured & submitted at: (A) SUNCITY PROJECTS PVT. LTD. Corp. Office-218-224, 2nd Floor, Suncity Business Tower, Sector-54, Golf Course Road, Gurugram (B) As per policy dated: 14.03.2020, application form can also be procured from office of Senior Town Planning, Gurugram Circle, Office at 3rd Floor, HUDA Office Complex, Sector -14, Gurugram. For more information, call 706170 0000

Eligibility
 1. The applicant should not be debarred from entering into legally binding contract under any prevailing law.
 2. Any person can apply, however, the PMAY beneficiaries which include their spouse dependent children, identified by the Urban Local Bodies Department, Haryana under "Pradhan Mantri Awasas Yojana-Housing for All" programme shall be granted preference in allotment. First priority shall be given to the identified beneficiaries of the said town followed by other PMAY beneficiaries of the State of Haryana. Thereafter, for the remaining flats, persons which include their spouses of dependent children who do not own any flat/ plot in any HUDA developed colony/ sector or any licenced colony in any of the Urban Areas in Haryana, UT of Chandigarh and NCT Delhi shall be given next preference in allotment of flats.
 3. An applicant can make only one application. Any successful applicant under this policy shall not be Eligible for allotment of other flat under this policy in any other colony. In case, he/ she is successful in more than one colony, he/ she will have retaining only one flat.
Allotment Criteria
 1. The allotment of apartments shall be done through draw of lots in the presence of a committee consisting of Deputy Commissioner or his representative (at least of the cadre of Haryana Civil Services), Senior Town Planning (Circle office), DTP of the concerned district and the representative of coloniser concerned.
 2. After fixation of date for draw of lots, an advertisement shall be issued by the Developer informing the applicants about the details regarding date/ time and venue of the draw of lots in the same newspapers in which the original advertisement was issued.
 3. For detailed criteria and time-frame to be adopted for scrutiny and allotment, the applicants may also refer to the details in the Affordable Housing Policy 2013 notified vide no. PF-27/48921 date and amendment thereof (available at the department website, i.e., www.tcpaharyana.gov.in).

706170-0000 | INFO@SUNCITYPROJECTS.COM | SUNCITYAVENUE76.COM

पंजाब नैशनल बैंक Punjab national bank
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

सुशांत लोक शाखा, गुरुग्राम
 नियम (8-1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, पंजाब नैशनल बैंक, सुशांत लोक शाखा, गुरुग्राम के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आरितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 30-12-2019 जारी की थी, जिसमें कर्जदार/ गारंटर मैसर्स यू.के. इन्फ्राटेक प्रा. लि., मकान नंबर 1127, सेक्टर-4, अर्बन एस्टेट, गुरुग्राम से सूचना में वर्णितानुसार 30-12-2019 तक बकाया राशि रु. 1,25,41,884.76/- (रु. एक करोड़ पच्चीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ चौरासी तथा पैसे छहत्तर मात्र) का भुगतान आगे ब्याज एवं अन्य प्रभासों इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार तथा गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः कर्जदार/ गारंटरों तथा जनसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 11 मार्च, 2020 को प्राप्त कर लिया है।

एतद्वारा, विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसाधारण को इस सम्पत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संयवहार पंजाब नैशनल बैंक, सुशांत लोक शाखा, गुरुग्राम की 30-12-2019 तक बकाया राशि रु. 1,25,41,884.76/- (रु. एक करोड़ पच्चीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ चौरासी तथा पैसे छहत्तर मात्र) + उस पर आगे ब्याज, प्रभार इत्यादि चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

चल/ अचल सम्पत्ति का विवरण
 श्रीमती उषा सिंह पत्नी श्री राम उजागर सिंह तथा राम उजागर सिंह पुत्र श्री वरशर सिंह के नाम अचल सम्पत्ति नामतः मकान नंबर 1127, सेक्टर-4, अर्बन एस्टेट, गुरुग्राम (हरियाणा) का सामयिक बंधक।

तिथि : 11-03-2020
 स्थान : गुरुग्राम

प्राधिकृत अधिकारी,
 वास्तु पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक Punjab national bank
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

शाखा : वसंत कुँज, नई दिल्ली, फ़ोन नं. 011-26139898, ईमेल : bo4114@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
 प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री देवी राम शर्मा, मकान नं. 53, श्रीनगर कॉलोनी, सिंधोरा कलां, अशोक विहार, नई दिल्ली - 110052

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन पंजाब नैशनल बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री विनोद कुमार शर्मा को एक मांग नोटिस दिनांक 26.09.2019 को जारी किया था जिसमें उल्लिखित राशि रु. 56,05,794/- (रु. छप्पन लाख पाँच हजार सात सौ चौरासह मात्र) दिनांक 30.06.2019 तक और दिनांक 01.07.2019 से अदायगी की तिथि तक ऋण का ब्याज, इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत 11.03.2020 को लिया है।

कर्जदार/ गारंटर/ बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन पंजाब नैशनल बैंक, शाखा: वसंत कुँज शाखा, नई दिल्ली-110070 के प्रभार वास्ते राशि रु. 56,05,794/- (रु. छप्पन लाख पाँच हजार सात सौ चौरासह मात्र) दिनांक 30.06.2019 तक और दिनांक 01.07.2019 से अदायगी की तिथि तक ऋण का ब्याज, इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति मकान नं. 53, बेसमेंट, ऊपरी मंजिल और तृतीय तल, श्रीनगर कॉलोनी, सिंधोरा कलां, अशोक विहार, नई दिल्ली - 110052 में स्थित

दिनांक : 11.03.2020, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
 India's International Bank

जेडओएसएआरबी, तेरहवीं मंजिल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 संसद मार्ग, 3631, एन.एस. रोड, नई दिल्ली-110001 दूरभाष: 011-23441320/21

कब्जा सूचना (अधिनियम-नियम 8(1) के अधीन अनुलग्नक IV) दिनांक: 13/03/2020

चूंकि, देना बैंक - अब बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गतन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ़ 2002) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक 26.11.2019 को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कर्जदार श्री रंजन कुमार रेड्डी एवं श्रीमती स्मिता मिश्रा को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों को अंदर सूचना में उल्लिखित रकम दिनांक 31/05/2018 की स्थिति के अनुसार रु. 42,35,077/- (रुपये बयालीस लाख पैंतीस हजार सत्तहत्तर मात्र) साथ में भुगतान की तारीख उस पर अनुबंधकीय दर पर ब्याज तथा व्यय की रकम चुकता करने को कहा गया था। कर्जदार/जमानतदार/स्वत्वाधिकारी/ गारंटीदाता द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में विफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/जमानतदार/स्वत्वाधिकारी/गारंटीदाता एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी ने 13 मार्च, 2020 को यहां नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार का ध्यान प्रत्यभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष कर कर्जदार एवं गारंटीदाता तथा आम तौर पर सर्वसाधारण को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा दिनांक 31/05/2018 की स्थिति के अनुसार रु. 42,35,077/- (रुपये बयालीस लाख पैंतीस हजार सत्तहत्तर मात्र) साथ में उस पर ब्याज की रकम के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी शाखा, तेरहवीं मंजिल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
 अचल सम्पत्ति: "कासा बुडस्टॉक" परियोजना में गौड सिटी-2, प्लॉट नं. जीएच-3ई, सेक्टर-16सी, ग्रेंटर नोएडा पश्चिम (उ.प्र.) 201304 में स्थित फ्लैट नं. 1701, सतरहवीं मंजिल, ए-ब्लॉक, परिमाण 1750 वर्ग फीट।

तारीख : 13.03.2020, स्थान: नई दिल्ली अधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक Punjab national bank
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

सोएलपीसी, सिविल लाइन्स : नॉर्थ दिल्ली
 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

Home loan approved by All Leading Banks

Corp. Office : Suncity Business Tower, 218-224, Second Floor, Golf Course Road, Sector-54, Gurugram -122002, Haryana, Ph. : 0124-4691000 Fax : 0124-4691010
 Regd. Office: LGF-10, Vasant Square, Plot-A, Sec-B, Pocket-V, Community Centre, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) CIN : U45201DL1996PTC083915

Disclaimer: Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgement prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details/ specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority web site <http://haryanaera.gov.in/>; Journey time shown, if any, is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. * Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable. T & C Apply. 1 sq.mt. 10.7639 sq. ft. ** The subsidy offers as per the eligibility of the client's profile and the loan amount. This is the max amount of subsidy that a client can receive and the same, goes with the loan amount too for availing the subsidy. Please note that the loan can be sanctioned more than 12 lacs but subsidy can be availed only till 12 lacs of loan amount.